रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04092025-265963
SG-DL-E-04092025-265963

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 206
No. 261] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947 [N. C. T. D. No. 206

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

सं. 66/नियम/डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इसे इस संदर्भ में समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड-V के अध्याय-1 में एतद द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:

संशोधन

निम्नलिखित को दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड-V के अध्याय 1 के वर्तमान भाग-च के बाद नये भाग-छ के रूप में अन्तः स्थापित किया जाएगा:-

1. आयुक्तों के पैनल का गठन–

i. मुख्य न्यायाधीश आयुक्तों को पैनलित किए जाने हेतु एक समिति का गठन करेंगे।

ii. समिति, आयुक्तों को पैनलित किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

iii. समिति के निर्देशानुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से महा निबंधक आवेदन आमंत्रित करेंगे अथवा **("**आयुक्तों को पैनलित किए जाने हेतु**")** समिति द्वारा यथा निर्देशित प्रक्रिया अपनाएंगे।

iv. पैनलित किए जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों की पात्रता समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। समिति विभिन्न प्रकार के आयोगों जैसे साक्ष्य दर्ज करने, माल की सूची तैयार करने आदि हेतु पृथक पैनलों को बनाने पर भी विचार कर सकती है।

v. आवेदनों को आमंत्रित करने वाली सूचना दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट, सभी जिला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइटों, दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइटों तथा सभी न्यायिक जिला बार एसोसिएशनों की आधिकारिक वेबसाइटों एवं उपरोक्त बार एसोसिएशनों के नोटिस बोर्ड पर अपलोड की जाएगी।

vi. समिति लेखा, वास्तुकला, ललित कला, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, मूल्यांकन और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अन्य प्रासंगिक व्यावसायिक विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों से भी आवेदन आमंत्रित कर सकती है।

vii. आयुक्तों के पैनलित किए जाने हेतु समिति की अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

2. समिति, अपने विवेकानुसार, आयुक्तों के पैनल से नामों को जोड़ने या हटाने की अनुशंसा कर सकती है। ऐसी अनुशंसा भी मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

3. आयुक्तों का पैनल इसके जारी किये जाने की तिथि से दो कैलेंडर वर्षों तक प्रभावी रहेगा। आयुक्तों के पैनल में नामों की सूची, जिसमें पैनल में शामिल व्यक्ति के व्यावसायिक अनुभव की अवधि और विशेष क्षेत्र, यदि कोई हो, का भी उल्लेख होगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की सभी पीठों को प्रेषित की जाएगी।

4. आयुक्तों की नियुक्ति करते समय विचार करने हेतु यह पैनल सभी न्यायालयों को उपलब्ध कराया जाएगा, यदि वे पैनल में से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने हेतु उपयुक्त समझें। तथापि, आयुक्तों की नियुक्ति एक न्यायिक कार्य होने के कारण, न्यायालय प्रस्तावित आयोग के उद्देश्यों हेतु ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसे वह उपयुक्त समझे, को नियुक्त कर सकते है।

5. यदि दिल्ली उच्च न्यायालय को आयुक्तों के पैनल में शामिल किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है, तो उक्त शिकायत समिति द्वारा निपटाई जाएगी जिस पर समिति अपनी अनुशंसा मुख्य न्यायाधीश को देगी।

6. उपर्युक्त के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश आयुक्तों के पैनल में से किसी भी आयुक्त का नाम हटा सकते हैं।

टिप्पणी : यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2025

No. 66/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Chapter 1 of Volume V of Delhi High Court Rules & Orders :-

AMENDMENT

THE FOLLOWING SHALL BE INSERTED AS NEW PART G AFTER THE EXISTING PART F OF CHAPTER 1 OF VOLUME V OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

1. Constitution of Panel of Commissioners.—

i. The Chief Justice shall constitute a Committee for empanelment of Commissioners.

ii. The Committee shall determine the procedure for inviting applications for empanelment of Commissioners.

iii. As directed by the Committee, the Registrar General shall on behalf of the Delhi High Court invite applications or adopt the procedure as directed by the Committee for empanelment of Commissioners ("**Commissioners Panel**").

iv. The eligibility of persons seeking empanelment shall be determined by the Committee. The Committee may consider having separate panels for different kinds of commissions such as for recording evidence, preparing inventory of goods etc.

v. The notice inviting applications shall be uploaded on the official website of the Delhi High Court; the official websites of all District Courts; the official websites of Delhi High Court Bar Association and of Bar Associations of all Judicial District Courts of Delhi; and notice boards of above Bar Associations.

vi. The Committee may also invite applications from persons having other relevant professional expertise in accounting, architecture, fine arts, engineering, information technology, medicine, valuation, and other professional domains.

vii. The recommendation of the Committee for empanelment of the Commissioners shall be placed for approval of the Chief Justice.

2. The Committee may, in its discretion, recommend addition or deletion of names from the Commissioners Panel. Such recommendation shall similarly be placed for approval of the Chief Justice.

3. The Commissioners Panel shall remain in effect for a period of two calendar years from the date of its issue. A list of the names on the Commissioners Panel, which shall also specify the period of professional experience of the person so empanelled and the area of expertise, if any, shall be circulated to all benches of the Delhi High Court.

4. The panel will be made available to all the Courts, for consideration while appointing Commissioners, if they consider it appropriate to appoint a person from the panel. However, the appointment of Commissioners, being a judicial function, the Court may appoint such person as it considers appropriate for the purposes of the proposed commission.

5. Where a complaint is received by the Delhi High Court against a person on the panel of Commissioners, the same shall be dealt with by the Committee whereupon the Committee shall make its recommendation to the Chief Justice.

6. Notwithstanding the above, the Chief Justice may remove the name of any Commissioner from the Commissioners Panel.

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of this Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.04 14:38:09 +05'30'